

रा. रा. श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R-188-PBR/2012

श्रीमती धुलीबाई पति श्री मांगीलालजी

उम्र - वयस्क, व्यवसाय - गृहकार्य

निवासी - ग्राम कबीटखेडी

तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

--- प्रार्थी

विरुद्ध

1. रमेश पिता श्री मांगीलाल खाती

आयु - वयस्क, व्यवसाय - कृषि

निवासी - ग्राम कबीटखेडी तहसील व जिला इन्दौर

2. ऐरॉन डेवलपर्स प्रा.लि.

आर-1, ग्राउण्ड फ्लोर, मेट्रो टॉवर

स्कीम नंबर 54, विजय नगर, इन्दौर

--- प्रतिप्रार्थीगण

R. B. M.  
30-12

(Atincha Sathu)  
Adv.  
30-12

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी इन्दौर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 62/अपील/10-11 में पारित आदेश दिनांक 23.11.2011 से व्यथित होकर प्रार्थी अपनी निगरानी याचिका सादर प्रस्तुत करता है :-





# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 188-पीबीआर/2012

जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-10-18	<p>आवेदक की ओर से श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिताकी धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p> सेक्टर</p>	<p> अध्यक्ष</p>